



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2283 / 12-1 (1)
सेवा में,

दिनांक, देहरादून, अप्रैल 29, 2015

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिलखड्ड-कुनैन मोटर मार्ग के कि०मी० 5 से सैंज मोटर मार्ग के निर्माण (कुल लम्बाई-6.125 कि०मी०) हेतु अपेक्षित वन भूमि 5.3478 हे० वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन, ग्राम्य विकास विभाग, को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

सन्दर्भ:- FP/UK/ ROAD/ 8881 / 2014

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने पत्रांक 3051/12-1 दिनांक 16-04-2015 के द्वारा विषयाकित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। विषयाकित प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5	6
चकराता वन प्रभाग/कनासर रेंज	आरक्षित वन भूमि कुनैन-7	2000 X 9	1.80	92	44
	आरक्षित वन भूमि कुनैन-8,	3000 X 9	2.70	47	12
	योग आरक्षित वन भूमि	5000 X 9	4.50	139	56
चकराता वन प्रभाग/कनासर रेंज	सिविल भूमि कुनैन	942 X 9	0.8478	76	33
	योग सिविल भूमि	942 मीटर	0.8478	76	33
	कुल योग वन भूमि	5942 मीटर	5.3478	215	89
कनासर रेंज	नाप भूमि- ग्राम पंचायत खरोड़ा कुनैन	-	0.945	26	रिक्त
	कुल योग		5.3478	241 वृक्ष	89

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त मार्ग के समरेखण में बाधित बांज वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण श्री बी०बी० मार्टोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी, श्री गोपाल सिंह बिष्ट प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, कनासर तथा प्रस्तावक विभाग के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2015 को किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। बांज के वृक्षों की स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नक-यथोपरि।

(आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या 2283 (1) / 12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 3051 / 12-1 दिनांक 16 अप्रैल 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । निरीक्षण टिप्पणी संलग्न कर प्रेषित है ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, हरिद्वार मुख्यालय, कालसी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । निरीक्षण टिप्पणी संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नक—यथोपरि ।

(आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम—जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिलखड्ड—कुनैन मोटर मार्ग के कि०मी० 5 से सैंज मोटर मार्ग के निर्माण (कुल लम्बाई—6.125 कि०मी०) हेतु अपेक्षित वन भूमि 5.3478 हे० वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन, ग्राम्य विकास विभाग, को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी हाँ, अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त मार्ग के समरेखण में बाधित बांज वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण श्री बी०बी० मार्तोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, श्री गोपाल सिंह बिष्ट प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, कनासर रेंज तथा प्रस्तावक विभाग के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2015 को किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी संलग्न कर अगले पृष्ठ में दी जा रही है ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक — 29 अप्रैल, 2015
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — (आर०के०मिश्र)
वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।